Email. dean_acad@csjmu.ac.in
Web: www.csjmu.ac.in

V.C. 0512-2580044
REGI. 0512-2582251

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर–208024

**CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR**

राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् द्वारा ग्रेड A++ प्राप्त विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)

(Formerly known as Kanpur University, Kanpur)

पत्रांकः सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰/Acad./ 91 /2025 दिनांकः 22/04/2025

## कार्यालय–आदेश

**1.** विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21.03.2025 के मद संख्या 2025–1.17 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाली वित्तीय सहायता (Poor Student Fund) से सम्बन्धित नियमावली के अनुमोदन पर विचार।

*निर्णय– विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।*

1. छात्रवृत्ति योजना को मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति कहा जाएगा और यह सीएसजेएम विश्वविद्यालय परिसर के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम प्रयास वाले विद्यार्थियो को देय होगी।
2. मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति ऐसे विद्यार्थियो को प्रदान की जायेगी जो शैक्षणिक उत्कृष्टता प्रर्दशन करेंगे तथा जिन्हे किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी।
3. यह छात्रवृत्ति ऐसे विद्यार्थियो को प्रदान की जायेगी जिन्हे कोई और वित्तीय सहायता प्राप्त न हुयी हों।
4. यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी जो अपने पाठ्यक्रम में, विश्वविद्यालय द्वारा घोषित विगत वर्ष के वार्षिक परिणाम के अनुसार शीर्ष 25 प्रतिशतांक (Percentile) में स्थान प्राप्त करने में सफल होंगे।
5. छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम की समस्त परीक्षाओं को प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के बैकलॉग/भूतपूर्व छात्र के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
6. किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता में लिप्त होने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु अंर्ह नहीं माना जाएगा
7. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण निम्नलिखित स्थितियों में ही संभव होगा।
   a) अपने पाठ्यक्रम में शीर्ष 25 प्रतिशतांक (Percentile) में स्थान बनाए रखना।
   b) बिना किसी बैकलॉग के अपने परीक्षाओं को एक ही प्रयास में उत्तीर्ण करना।
   c) किसी भी प्रकार की अनुशासहीनता में लिप्त न होना।
   d) आवश्यकतानुसार समस्त वांछित वित्तीय प्रपत्रो (Financial Documents) का सत्यापन हेतु पुनः प्रस्तुतीकरण।
8. विश्वविद्यालय द्वारा मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता किसी भी पाठ्यक्रम की वार्षिक ट्यूशन फीस का 25 प्रतिशत स अधिक नहीं होगी।

**2.** विद्या परिषद की बैठक दिनांक 21.03.2025 के मद संख्या 2025–1.19 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय परिसर में स्कूल ऑफ क्रिएटिव एवं परफार्मिंग आर्ट्स के अन्तर्गत म्यूजिक एकेडमी संचालित किये जाने पर विचार।

*निर्णय– विद्या परिषद द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।*
*इसके साथ ही विद्यापरिषद द्वारा निम्न सिद्धान्तों पर भी सहमति बनी।*

1. स्पोर्ट्स कोच की भांति ₹300 प्रति घंटे के अनुसार म्यूजिक इंस्ट्रक्टर/कोच को वेतन दिए



CamScanner

Email. dean_acad@csjmu.ac.in
Web: www.csjmu.ac.in

V.C. : 0512-2580044
REGI.: 0512-2582251

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर–208024

**CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR**

राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद् द्वारा ग्रेड A++ प्राप्त विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)

(Formerly known as Kanpur University, Kanpur)

पत्रांकः सी॰एस॰जे॰एम॰वि॰वि॰/Acad./ 91 /2025 दिनांक: 22/04 /2025

जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

2. हॉस्टल मद से म्यूजिक अकादमी के व्यय संपन्न किए जाने पर सहमति बनी।
1. म्यूजिक एकेडमी के छात्रों की फीस विश्वविद्यालय अकाउंट में ही जमा की जाये।
2. म्यूजिक एकेडमी हेतु कैंपस विद्यार्थियो से फीस रुपए 200/– प्रतिमाह लिये जायेंगे जो कि विश्वविद्यालय अकाउंट में जमा होंगे। बाह्य छात्रों द्वारा फीस रुपए 2000/– प्रति एक्टिविटी तथा रुपए 1500/– अतिरिक्त एक्टिविटी का चयन करने पर देय होंगे।

अधिष्ठाता अकादमिक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता, स्टूडेन्ट वेलफेयर/विभागाध्यक्ष, संगीत विभाग।
2. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. वैयक्तिक सहायक/कुलसचिव।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

अधिष्ठाता अकादमिक

CamScanner